

फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

पंजाब नेशनल बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय— मंडल शस्त्रा विभाग, तृतीय तल, एलआईसी भवन, सबसिटी सेन्टर रेती स्टैण्ड, उदयपुर, राजस्थान तथा शाखा कार्यालय:— रेलमगरा राजसमन्द जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री राजेश कुमार नाजकानी — प्रार्थी

बनाम

1. श्री उदय राम गाडरी पिता श्री राम लाल गाडरी निवासी — गांव केशरपुरा, पंचायत पाखण्ड, नाथद्वारा, जिला— राजसमन्द (राज.) — ऋणी

— — — अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा— प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट

पत्रावली संख्या 02/2023

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक 26.06.2023</p> <p>प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक शाखा रेलमगरा ने दिनांक: 16.01.2023 को इस न्यायालय में अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।</p> <p>अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 04.02.2019 को जरिये ऋण करार खाता संख्या 22596011000051 के द्वारा रूपये 14,50,000/- अक्षरे चौदह लाख पचास हजार रुपए मात्र का ऋण प्राप्त किया था अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण मय ब्याज के पुनः भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में अपनी अचल सम्पत्ति को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में साम्यिक बंधक किया था। बंधक सम्पत्ति का विवरण :- श्री उदय राम गाडरी पिता श्री राम लाल गाडरी के नाम भूमि एवं निर्माण आवासीय संपत्ति जिसका क्षेत्रफल 1368 वर्ग फिट है जो कि गांव — केशरपुरा, पंचायत — पाखण्ड, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द(राज.) में स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपत्ति के अभिन्न अंग है। जिसकी चतुर्सीमा पडौस निम्न प्रकार है कि: पूर्व :- मुख्य रोड़, पश्चिम :- श्री मांगी लाल पिता श्री परथा की संपत्ति उत्तर :- गली एवं श्री तेजा पिता श्री देवा की संपत्ति, दक्षिण : श्री रामा पिता श्री काली गायरी की संपत्ति। विपक्षीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी वित्तीय संस्था को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और भुगतान में व्यतिक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 31.03.2022 को प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा विपक्षीगण का खाता अक्रियान्वित आस्ति (NPA) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया हैं। विपक्षीगण के खाते में बकाया राशि 12,14,839.98/- अक्षरे बारह लाख चौदह हजार आठ सौ उनतालीस पैसे अठनवे रूपये मात्र दिनांक 30.04.2022 तक</p>	



शेष व देय हैं। दिनांक 30.04.2022 से आगे का ब्याज व खर्च आदि सहित राशि का भुगतान करने के लिए विपक्षीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक/वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13 (2) के अंतर्गत दिनांक 19.05.2022 को डिमाण्ड नोटस विपक्षीगण को प्रेषित किया, जिसकी प्राप्ति विपक्षीगण को दिनांक 26.05.2022 को होने के बाद भी उक्त देय राशि का भुगतान प्रार्थी को नहीं किया गया है। विपक्षीगण ने देय राशि का भुगतान बावजूद मांग के भी प्रार्थी बैंक/वित्तीय संस्था को नहीं किया है। उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी कॉलम संख्या 2 में वर्णित सिक्योरिटी रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि को वसूल करने का अधिकारी है।

आवेदक बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ-पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक शाखा रेलमगरा द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार बंधक सम्पत्ति का विवरण :- श्री उदय राम गाडरी पिता श्री राम लाल गाडरी के नाम भूमि एवं निर्माण आवासीय संपत्ति जिसका क्षेत्रफल 1368 वर्ग फिट है जो कि गांव - केशरपुरा, पंचायत - पांखड, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द(राज.) में स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपत्ति के अभिन्न अंग है। जिसकी चतुर्सीमा पडौस निम्न प्रकार है कि : जिसकी चतुर्सीमा पडौस निम्न प्रकार है कि : पूर्व :- मुख्य रोड़, पश्चिम :- श्री मांगी लाल पिता श्री परथा की संपत्ति, उत्तर :- गली एवं श्री तेजा पिता श्री देवा की संपत्ति, दक्षिण : श्री रामा पिता श्री काली गायरी की संपत्ति।

उपरोक्त प्रकरणाधीन सम्पत्ति किसी अन्य दीगर को अन्तरण नहीं की हो, किसी माननीय न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक शाखा रेलमगरा के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक शाखा रेलमगरा को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावे।

पत्रावली फ़ैसलं शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ़तर हो।



(नीलाभ सक्सेना)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द